	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 1, सोमवार, शाके 1935–सितम्बर 23, 2013 *Asvina 1, Monday, Saka 1935–September 23, 2013*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 23, 2013

No. F. 2 (44) Vidhi/2/2013.– The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 20th day of September, 2013 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) ACT, 2013 (Act No. 37 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 20th day of September, 2013]

An

Act

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 2nd August, 2013.

2. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 3 of 1955.- In the proviso to sub-section (1) of section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), after the existing expression "or any authority appointed by it" and before the existing expression ",a holder of Khudkasht", the expression "or for the purpose of

plantation of *Prosopis Juliflora* or any other like plantation to be used for generation of electricity" shall be inserted.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 18 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, सितम्बर 23, 2013

संख्या प. 2 (44) विधि/2/2013:–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान टेनेन्सी (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2013 (एक्ट नं. 37 ऑफ 2013)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 37)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 2 अगस्त, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 45 का संशोधन.- राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 45 की उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "के प्रयोजन के लिए" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ",खुदकाश्त का धारक" के पूर्व अभिव्यक्ति "या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा या विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले इसी प्रकार के किसी भी अन्य पौधे के रोपण के प्रयोजन के लिए" अंत:स्थापित की जायेगी।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं. 18) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमख शासन सचिव।

3
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।